अनुसार दिनांक 20.12.24 को
पेश की जावे

20.12.24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण में तहसीलदार बेंगू के जवाब प्रा.पत्र पेश होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई. वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा राजगढ प.ह राजगढ की खाता सं 76 आ.स 1131/491 रकबा 0.9900 है. भूमि मे प्रार्थीया सोसर देवी के स्थान पर सहोदर भाई शुद्ध कर अंकित किया जावे। प्रार्थीया के सभी दस्तावेजों मे सहोदर भाई है लेकिन लिपिकीय भूल सहवन से विरासत का इन्तकाल खोलते समय पटवार हल्का पटवारी द्वारा सोसर देवी नाम अंकित कर दिया जिसे शुद्ध किया जावे। इस पर बैरोकार तहसीलदार बेंगू ने अपनी बहस जवाब प्रा.पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थीया सहोदर भाई पति जानकी लाल महाजन के संदर्भ मे भू.अ.नि. पटवारी द्वारा इस संबंध मे तैयार किये गये पर्ची मौका अनुसार प्रार्थीया का वास्तविक नाम सहोदर भाई है। सहवन से नामांतरण खोलते समय नाम सहोदर भाई के बजाय सोसर अंकित कर दिया गया जिसे सही किया जाना उचित है। प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया; प्रकरण मे तहसीलदार बेंगू के जवाब मे भी नाम सही किये जाने का निवेदन किया है अतः प्रार्थीया का प्रा.पत्र अ.धा. 1362 RA का स्वीकार किया जाता है मौजा राजगढ के खाता सं.76 आ.स. 1131/491 रकबा 0.9900 है.भूमि मे सोसर देवी पति जानकी लाल महाजन के बजाय सहोदर भाई पति जानकी लाल महाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।